भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3774
दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

मिलावटी दूध का उत्पादन

3774. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर राजस्थान राज्य में दूध का वास्तविक उत्पादन, खपत और मांग के अनुपात में है;
(ख) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दूध उत्पादन और मांग के आंकड़े क्या हैं;
(ग) क्या यह सच है कि जब दूध का उत्पादन मांग से कम होता है, तो नकली या मिलावटी दूध और दूध उत्पादों का अवैध व्यापार बढ़ जाता है;
(घ) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान नकली या मिलावटी दूध से संबंधित मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;
(ङ) नकली या मिलावटी दूध का उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे जुड़ी प्रमुख बीमारियाँ क्या हैं; और
(च) क्या सरकार के पास इससे पीड़ित लोगों का आंकड़ा है और यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) वर्ष 2023-24 के दौरान देश में अनुमानित दुग्ध उत्पादन 239.3 मिलियन टन है। वर्ष 2023-24 के दौरान 34.73 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ राजस्थान, देश में दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1171 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है। देश और विशेषकर राजस्थान में, दुग्ध उत्पादन कुल मिलाकर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने खाद्य संबंधी कानूनों में एकरूपता लाने तथा भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 लागू किया है। एफएसएसएआई खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करता है तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है। एफएसएसएआई द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के जरिए एफएफएस अधिनियम का कार्यान्वयन और प्रवर्तन किया जाता है। एफएसएसएआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (RBIS) के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों को उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (NASP) के अंतर्गत, जोखिम आधारित सैंपलिंग पर विशेष जोर दिया गया है। यदि निगरानी के दौरान गैर-अनुपालन का पता चलता है, तो साक्ष्य आधारित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बाद में गैर-

अनुपालन सैंपल पर प्रवर्तन सैंपलिंग की जाती है। अधिक मांग और त्योहारों के दौरान लक्षित प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, त्योहारों के मौसम- दिवाली से पहले सितंबर 2024 में और होली से पहले फरवरी 2025 में विशेष अभियान चलाए गए थे। पिछले 03 वर्षों में दूध और दूध उत्पादों के संबंध में शुरू किए गए प्रवर्तन कार्यकलापों और लगाई गई शास्ति (penalty) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**शुरू किए गए मामलों की संख्या**	**दोषसिद्धि और शास्ति**	**लगाई गई शास्ति की राशि (करोड़ रुपए में)**
2022-23	40874	10623	7381	24.30
2023-24	41080	13288	8649	34.83
2024-25	33405	12057	8815	36.72

(ङ) और (च) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दूध में मिलावट के कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

***